

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि./पु./2016/संशो./11

दिनांक:29/04/2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा-प्रथम) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।

विषय-आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2015-16) के क्रियान्वयन के आधार पर 15 अगस्त,2016 को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में एक-एक जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा)-राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्था प्रधान को प्रशंसा पत्र प्रदान किये जाने बाबत।

प्रसंग - शासन के पत्रांक प.4(6) शिक्षा-1/2014 पार्ट जयपुर दिनांक 06.04.2016 व 12.04.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं शासन के प्रासंगिक पत्रों के क्रम में पूर्व में जारी समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक 21.04.2016 के अतिक्रमण में आदर्श विद्यालय योजना से सम्बंधित पुरस्कार योजना बाबत लेख है कि -

1. माननीया मुख्यमंत्री महोदया ने वर्ष 2015-16 के बजट अभिभाषण में प्रत्येक ग्राम पंचायत (पुनर्गठित ग्राम पंचायत सहित) में एक विद्यालय (सामान्यतया कक्षा 1 से 12/10 का विद्यालय) को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। जिसकी अनुपालना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आदर्श विद्यालय स्थापित करने हेतु विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.4(6) शिक्षा-1/2014 दिनांक 12.05.2015 के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रथम चरण वर्ष 2015-16 में 1340 (31 मार्च, 2016 तक) विद्यालय, वर्ष 2016-17 द्वितीय चरण 3097 (31 मार्च, 2017 तक) विद्यालय व तृतीय चरण वर्ष 2017-18 में तक 5458 (31 मार्च, 2018 तक) विद्यालय आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन विद्यालयों में विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएँ यथा पर्याप्त व मानदण्डानुसार शिक्षकों की व्यवस्था, आधारभूत भौतिक सुविधाओं, बालक- बालिकाओं के लिए फर्नीचर व खेल सामग्री की व्यवस्था के साथ साथ आई. सी.टी./कम्प्यूटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा कर इन विद्यालयों को **Centre of Excellence** के रूप में विकसित किया जाना है। यह आदर्श विद्यालय ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालयों के लिये **मार्गदर्शी विद्यालय (Mentor School)** व संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करेंगे।
3. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा)-राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इन अधिकारियों के द्वारा ही विभिन्न स्तरों/संस्थाओं व अभिभावकों से सहयोग प्राप्त कर विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है।

4. आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम चरण में (31 मार्च, 2016 तक) 1340 विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारियों, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों एवं विद्यालय के प्रधानाचार्यों/संस्था प्रधानों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने व अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों/संस्था प्रधानों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति के उपरान्त राज्य के सभी जिलों में आदर्श विद्यालय योजना के प्रथम चरण के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), सर्वश्रेष्ठ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा)-राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं प्रथम चरण के 1340 विद्यालयों का मूल्यांकन कर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का भी चयन किया जाना है। चयनित सर्वश्रेष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा)-राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद व सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय के प्रधानाचार्य/संस्था प्रधान को 15 अगस्त, 2016 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में प्रशंसा पत्र प्रदान किया जायेगा। इस हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
5. उपरोक्तानुसार चयन हेतु जिला व निदेशालय स्तर पर मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति तथा राज्य स्तर पर चयन समितियां निम्नानुसार गठित की गई है।
 1. **जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति**
आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आदेश क्रमांक:6(2)प्र.सु./ग्रुप-3/2015 दिनांक:15.04.2015 द्वारा गठित निष्पादन समिति।
 2. **निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशांषा समिति**
अध्यक्ष- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
सदस्य- उपायुक्त, प्रथम, रामाशिप, जयपुर।
सदस्य- अतिरिक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
सदस्य- उपनिदेशक, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर।
सदस्य- राज्य समन्वयक, रामाशिप, जयपुर।
सदस्य- सहायक निदेशक, संस्थापन एवं शैक्षिक, मा0शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
सदस्य सचिव- संयुक्त निदेशक, कार्मिक, मा0शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
 3. **राज्य स्तरीय चयन समिति**
अध्यक्ष- शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
सदस्य- निदेशक, मा0शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
सदस्य- निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
सदस्य- अतिरिक्त आयुक्त, रामाशिप, जयपुर।
सदस्य- उपशासन सचिव, शिक्षा ग्रुप प्रथम, द्वितीय, तृतीय
सदस्य- उपायुक्त, प्रथम, रामाशिप, जयपुर।
सदस्य सचिव-विशेषाधिकारी शिक्षा।
6. **आवेदन की प्रक्रिया**
 1. आदर्श योजना प्रथम चरण के विद्यालयों में कार्यरत संस्था प्रधान, जिले के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक-राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) पदेन जिला परियोजना समन्वयक आवेदन के पात्र होंगे।

2. मूल्यांकन वित्तीय वर्ष 2015-16 (अप्रेल 2015 से 31 मार्च, 2016) में आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के आधार पर किया जायेगा।
3. संस्था प्रधान, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद) व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) अपने आवेदन क्रमशः प्रपत्र 'अ' 'ब' एवं 'स' में करेंगे (संलग्न परिशिष्ट-1 अ, ब, एवं स)। आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाईट rajshiksha.gov.in पर "सर्वश्रेष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं संस्था प्रधान को पुरस्कृत करने हेतु आवेदन पत्र" नाम से उपलब्ध है।
4. मूल्यांकन मुख्यतः आदर्श योजना के प्रथम चरण के विद्यालयों को विकसित करने व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की योजनाओं को राजकीय विद्यालय में क्रियान्वयन के आधार पर होगा।
5. जिला स्तरीय अधिकारियों के लिये जिले में वर्ष 2015-16 के दौरान छः माह से अधिक कार्यरत अवधि व विद्यालय के संस्था प्रधान हेतु विद्यालय में कम से कम 5 माह से अधिक कार्य अवधि होने पर ही आवेदन हेतु पात्रता होगी।
6. संस्था प्रधान अपने आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड अधिकारी की अनुशंसा के पश्चात जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति को निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अपने आवेदन जिला कलक्टर की अनुशंसा के पश्चात निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
8. आवेदन प्रस्तुत करने के दिशा निर्देश आवेदन के साथ ही उपलब्ध है।
9. मूल्यांकन एवं अनुशंसा समितियां आवेदनों में दर्शाई गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करेगी। संस्था प्रधान, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक व जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अर्जित की गई उपलब्धि के आधार पर अंक प्रदान करने के मान दण्ड निर्धारित किये गये है जो परिशिष्ट-2, अ, ब एवं स पर उपलब्ध है।
10. आवेदन एवं मूल्यांकन हेतु निम्नानुसार समय सारणी रहेगी-

क. स.	आवेदक वर्ग	आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत आवेदनों को निदेशालय भेजने की अन्तिम तिथि	निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंसा समिति द्वारा जांच उपरांत वरीयता के 3-3 आवेदनों को निदेशालय भेजने की अन्तिम तिथि	राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा अन्तिम चयन तिथि
1.	जिला शिक्षा अधिकारी (मा०शिक्षा०)	15 जून, 2016	25 जून, 2016	5 जुलाई, 2016	25 जुलाई, 2016
2.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा)	15 जून, 2016	25 जून, 2016	5 जुलाई, 2016	25 जुलाई, 2016
3.	संस्था प्रधान	15 जून, 2016	25 जून, 2016	5 जुलाई, 2016	25 जुलाई, 2016

7. समितियों के कार्य

7.1 जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

1. जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगी एवं जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से वरियता वाले प्रथम तीन संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदनों को निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति को भिजवायेगी।
2. जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर मूल्यांकन के लिये निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान करेगी।
3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन के लिये उपलब्ध साक्ष्यों, फोटो ग्राफ्स का अवलोकन किया जायेगा। निदेशालय पर भेजे जाने वाले आवेदनों में संस्था प्रधान द्वारा दर्शाई गई उपलब्धि का जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा। तत्पश्चात विद्यालय में की गई उपलब्धि के आधार पर अधिकतम 5 अंकों में से अंक प्रदान किये जायेंगे।

7.2 निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति

1. निदेशालय स्तरीय मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति, जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के जिला कलक्टर के अनुशंषा के पश्चात प्राप्त आवेदनों एवं जिला स्तरीय समिति की अनुशंषा पश्चात संस्था प्रधानों के प्राप्त आवेदनों की जांच करेगी। जांच के आधार पर उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में से प्रथम 10 संस्था प्रधानों का चयन कर उनके आवेदनों को राज्य स्तरीय समिति को भिजवायेगी।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) के आवेदनों की गहनता से छानबीन कर आवेदक द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर मूल्यांकन के लिये निर्धारित मानदण्डानुसार अंक प्रदान करेगी। जांच के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले आवेदनों में प्रथम तीन जिला शिक्षा अधिकारी एवं तीन अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक का चयन कर उनके आवेदनों को राज्य स्तरीय चयन समिति को भिजवायेगी।
3. संस्था प्रधानों, जिला शिक्षा अधिकारियों एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयकों के आवेदनों का निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन एवं अनुशंषा समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा। तत्पश्चात उपलब्धि के आधार पर संस्था प्रधान एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) के लिये निर्धारित 10 अंकों में से अंक व जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के लिये निर्धारित 5 अंकों में से अंक प्रदान किये जायेंगे।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों, विवरणों आदि का समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाये। मूल्यांकन के लिये उपलब्ध साक्ष्यों, फोटोग्राफ्स को अवलोकन किया जाये।

7.3 राज्य स्तरीय चयन समिति

1. निदेशालय स्तरीय चयन समिति की अनुशंषा के पश्चात प्राप्त आवेदनों की गहनता से छानबीन कर उपलब्धि के आधार पर दिये गये अंकों की पुनः जांच करेगी।

2. समिति द्वारा संस्था प्रधान, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को पुरस्कृत करने हेतु एक-एक नाम के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जायेगे।
3. निदेशालय से प्राप्त संस्था प्रधान, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के आवेदनों का राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा। तत्पश्चात उपलब्धि के आधार पर संस्था प्रधान एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) के लिये निर्धारित अधिकतम 10 अंको में से अंक प्रदान किये जायेगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।




(बी.एल.स्वर्णकार)
आई०ए०एस०
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

संलग्न: परिशिष्ट-1 अ, ब, एवं स, परिशिष्ट-2 अ, ब, एवं स

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1-निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।।
- 2-निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3-शासन उप सचिव-प्रथम, (गुप-1) स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 4-निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
- 6-समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
- 7-समस्त मण्डल उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान।
- 8-समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा), राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद।
- 9-समस्त संस्था प्रधान राउमावि/मावि, राजस्थान।
- 10-सिस्टम एनालिस्ट, विभागीय वेबसाईट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर जारी करने हेतु।
- 11-रक्षित पत्रावली।



उपनिदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

संस्था प्रधान, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) एवं जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा द्वारा राज्य स्तरीय प्रशंसा पत्र के लिये आवेदन हेतु निर्देश

संस्थाप्रधान, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिप. एवं जिला शिक्षा अधिकारी आवेदन करते समय निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखें –

1. आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप जारी किया गया है। इस प्रारूप के अनुसार ही सूचनाएं भरी जानी हैं।
2. संस्था प्रधान के लिये आवेदन परिशिष्ट-1(अ), अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद परिशिष्ट-1(ब) तथा जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिशिष्ट-1(स) में आवेदन करेंगे।
3. संस्था प्रधानों के लिए जारी किया जाने वाला आवेदन राज्य में प्रथम चरण (31 मार्च 2016 तक) में विकसित किये जा रहे आदर्श विद्यालयों के संस्था प्रधान ही करें।
4. आवेदन पत्र में दी जानी वाली उपलब्धि या प्रतिशत वही दर्शाएँ जो सत्र 2015-16 में अर्जित की गई हो।
5. विद्यालय विकास की सूचनाएं केवल वो ही दी जानी हैं जो आवेदनकर्ता स्वयं के कार्यकाल में सत्र 2015-16 में विकसित की गई है।
6. भौतिक संसाधनों एवं सुविधाओं की वही जानकारी दी जानी जो उपयोग किये जाने की स्थिति में हों।
7. प्रपत्र के प्रथम भाग में व्यक्तिगत जानकारियां दी जानी हैं।
8. प्रथम चरण आदर्श विद्यालयों में लहर आधारित कक्ष विकसित की जाने की प्रगति दी जानी है। 2015-16 से पूर्व विकसित किये गये कक्षा कक्षों की संख्या सम्मिलित नहीं की जानी है।
9. ग्रीनबोर्ड की जानकारी में ऐसे ग्रीन बोर्ड जिनका साईज 6X8 हो तो ही शामिल किये जाये।

प्रपत्र-स

जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) के लिए आवेदन प्रपत्र

जिले में प्रथम चरण के आदर्श विद्यालयों की कुल संख्या.....
उपलब्धि के आधार पर कुल प्राप्तांक.....

1. व्यक्तिगत विवरण –

- 1.1 आवेदक का नाम -----
1.2 पद नाम -----
1.3 पद स्थापन व जिला -----
1.4 वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि -----
1.5 क्या विभागीय जाँच विलम्बित हैं -----
1.6 क्या विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित किया गया है ?

2. उपलब्धि विवरण –

2.1 अकादमिक

2.1.1 नामांकन वृद्धि

जिले को आंवटित लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	लक्ष्य से 10% तक वृद्धि	लक्ष्य से 10% से अधिक वृद्धि	अंक

2.1.2 बोर्ड परीक्षा परिणाम (सत्र 2015-16 हेतु)

जिले के बोर्ड परीक्षा में बठने वाले विद्यार्थी		श्रेणी						जिले का कुल परीक्षा परिणाम (प्रतिशत)		अंक
		प्रथम		द्वितीय		तृतीय				
कक्षा 10	कक्षा 12	कक्षा 10	कक्षा 12	कक्षा 10	कक्षा 12	कक्षा 10	कक्षा 12	कक्षा 10	कक्षा 12	

3. प्रशासनिक

3.1 संस्थापन प्रगति

प्रकरण	कुल प्राप्त प्रकरण	समय पर निस्तारण किये गये प्रकरण	शेष प्रकरण	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
एसीपी					

पेंशन					
एसीआर					
पोर्टल पर प्राप्त प्रकरण					
शिकायत एवं जांच प्रकरण					
अन्य परिवेदन प्रकरण					

3.1.1 विद्यालय निरीक्षण

सत्र के दौरान निरीक्षण लक्ष्य	किये गये निरीक्षणों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत	अंक

3.1.2 छात्रवृत्ति

सत्र 2015-16 में प्राप्त छात्रवृत्ति राशि	वितरण उपलब्धि				अंक
	100%	80%	60%	60% से कम	

3.1.3 खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता

गतिविधि	राज्य में		अंक
	सहभागिता संख्या / कार्य	स्थान	
खेलकूद			
सांस्कृतिक (कला उत्सव)			
विज्ञान प्रदर्शनी			

3.1.4 प्रतिभा खोज परीक्षा

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या	अंक
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा-प्रथम चरण		
राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा		
नेशनल मेरिट कम-मीन्स स्कॉलरशिप		

3.1.5 लैपटॉप वितरण की स्थिति

कक्षा	कुल आवंटित लक्ष्य	31.03.16 तक वितरित संख्या	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
8				
10				
12				
योग				

3.1.6 साईकिल वितरण

कुल आवंटित लक्ष्य	31.03.16 तक वितरित किये गये साईकिल की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत	अंक

4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास

4.1 खेल मैदान विकसित किये जाने की प्रगति (केवल प्रथम चरण के आदर्श विद्यालयों के संबंध में)

क्र. सं.	विवरण	संख्या			उपलब्धि प्रतिशत	अंक
		माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	योग		
1	जिले के प्रथम चरण के आदर्श विद्यालयों की संख्या					
2	खेल मैदान रहित आदर्श विद्यालय					
3	2015-16 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन के भेजे गये प्रकरण					
4	2015-16 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन					
5	विकसित किये गये कुल खेल मैदान	मनरेगा				
		भामाशाह				

9-10									
11-12									

4.4 आईसीटी योजना में भुगतान की स्थिति

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	योग	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
ICT वाले विद्यालय						
अनुबंध के आधार पर सेवाप्रदाता ऐजेंसी को किये जाने वाला भुगतान						
सेवाप्रदाता ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों की कुल राशि						
सेवाप्रदाता ऐजेंसी को अब तक किया गया भुगतान						
कटौती राशि						
शेष भुगतान जो किया जाना है						
आईसीटी की पत्रावलियों की संख्या जो कार्यक्रम अधिकारी को दी गई						

4.5 विद्यालयों में बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुविधा एवं विद्युत कनेक्शन की प्रगति

क्र. सं.	विवरण	प्रथम चरण के आदर्श विद्यालयों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
1	2015-16 से पूर्व इन्टरनेट कनेक्शन के की उपलब्धता वाले विद्यालय			
2	2015-16 के दौरान इन्टरनेट उपलब्ध कराये गये विद्यालय			
3	ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड उपलब्ध लेकिन विद्यालयों में ब्रॉडबैंड उपलब्ध नहीं ऐसे विद्यालय			
4	2015-16 से पूर्व से विद्युत कनेक्शन उपलब्धता वाले विद्यालय			
5	2015-16 के दौरान उपलब्ध कराये गये विद्युत कनेक्शन वाले विद्यालय			
6	विद्युत कनेक्शन उपलब्धता वाले विद्यालय			

4.6 आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत हुई समीक्षा बैठकों में उपस्थिति

विवरण	बैठको की कुल संख्या		डीपीसी द्वारा भागीदारी (संख्या)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
जिला स्तर पर आयोजित निष्पादक समिति की बैठक					
जिला स्तरीय कौर कमेटी की बैठक					
जिले के समस्त ब्लॉको में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठके	ब्लॉक का नाम	संख्या			

4.7 डिजीटल लिटरेसी

जिले में कुल माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल संख्या	RS-CIT से प्रशिक्षित	PGDCA, MCA, BCA etc	शेष	RKCL में रजिस्टर्ड संख्या (सत्र 2015-16)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
शिक्षक						
मंत्रालिक कार्मिक						
स्वयं						

4.8 शाला दर्पण योजना में डेटा फीडिंग की प्रगति

जिले में कुल विद्यालयों की संख्या (आदर्श विद्यालय सहित)				
कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र 3-A लॉक करने की प्रगति (प्रतिशत में)	कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र 5 में लॉक करने की प्रगति (प्रतिशत में)	कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र 3-B में विषय फीडिंग करने की प्रगति (प्रतिशत में)	कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र -9 में फीडिंग करने की प्रगति (प्रतिशत में)	कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र - Teacher details profile में फीडिंग करने की प्रगति (प्रतिशत में) उपलब्धि प्रतिशत अंक

--	--	--	--	--

4.9 SIQE (प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा-कक्ष सौन्दर्यकरण (लहर कक्ष की तरह)

एसआईक्यूई संचालित कुल विद्यालय	2015-16 में लहर आधारित कक्षा कक्ष विकसित कुल विद्यालयों की संख्या		
	2 से अधिक लहर आधारित कक्षा कक्षों वाले विद्यालय	2 लहर आधारित कक्षा कक्षों वाले विद्यालय	2 से कम लहर आधारित कक्षा कक्षों वाले विद्यालय

4.10 ग्रीन बोर्ड स्थिति

विद्यालय (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	विद्यालयों के कक्षा-कक्षों में ग्रीन बोर्ड की संख्या		उपलब्धि प्रतिशत	अंक
	2015-16 से पूर्व	2015-16 के दौरान		
माध्यमिक				
उच्च माध्यमिक				
योग				

4.11 प्रशिक्षण

	SIQE प्रशिक्षण उपलब्धि (प्रतिशत)		शिक्षक प्रशिक्षण उपलब्धि (प्रतिशत)		लीडरशिप उपलब्धि (प्रतिशत)	
	राज्य स्तरीय संस्था प्रधान प्रशिक्षण (बोध परिसर)	ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधान प्रशिक्षण	नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण	विषयाधारित (विज्ञान, गणित) शिक्षक प्रशिक्षण	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संभाग स्तरीय प्रशिक्षण
लक्ष्य						
उपलब्धि						
अंक						

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में भरी समस्त जानकारी सही है। गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन को निरस्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर
नाम व सील

आवेदन पत्र अनुशंसित

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर
मय नाम एवं सील

प्रपत्र-ब

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (रमसा) के लिए आवेदन प्रपत्र

जिले में प्रथम चरण के आदर्श विद्यालयों की कुल संख्या.....
उपलब्धि के आधार पर कुल प्राप्तांक.....

1. व्यक्तिगत विवरण

- 1.1 आवेदक का नाम — _____
- 1.2 पद नाम — _____
- 1.3 पद स्थापन व जिला — _____
- 1.4 वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि — _____
- 1.5 क्या विभागीय जाँच विलम्बित हैं ?— _____
- 1.6 क्या विभाग द्वारा पूर्व में दण्डित किया गया है? — _____

2. उपलब्धि विवरण —

2.1 अकादमिक

2.1.1 नामांकन वृद्धि

जिले को आंवटित लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति	लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत में	लक्ष्य से 10% वृद्धि	लक्ष्य से 10% से अधिक वृद्धि	अंक

3. प्रशासनिक

3.1 संस्थापन प्रगति

प्रकरण	कुल प्राप्त प्रकरण	समय पर निस्तारण किये गये प्रकरण	शेष प्रकरण	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
पोर्टल पर प्राप्त प्रकरण					
शिकायत एवं जांच प्रकरण					
अन्य परिवेदना प्रकरण					

3.1.1 विद्यालय निरीक्षण

सत्र के दौरान निरीक्षण लक्ष्य	किये गये निरीक्षणों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत	अंक

3.1.2 विविध गतिविधियों में सहभागिता

गतिविधि	राज्य स्तर		राष्ट्रीय स्तर		अंक
	सहभागियों की संख्या / कार्य	स्थान	सहभागियों की संख्या / कार्य	स्थान	
कला उत्सव					
विज्ञान प्रदर्शनी					

4. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास

4.1 खेल मैदान विकसित किये जाने की प्रगति

क्र. सं.	विवरण	संख्या			उपलब्धि प्रतिशत	अंक
		माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	योग		
1	जिले के प्रथम चरण के आदर्श विद्यालयों की संख्या					
2	1 अप्रैल 2015 से पूर्व खेल मैदान रहित आदर्श विद्यालय					
3	2015-16 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन के भेजे गये प्रकरण					
4	2015-16 में खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन					
5	विकसित किये गये कुल खेल मैदान	मनरेगा				
		भामाशाह				
		समुदाय / अन्य सहयोग				
		योग				

4.2 फर्नीचर की उपलब्धता (प्रथम चरण आदर्श विद्यालय)

कक्षाएँ	कुल विद्यालयों की संख्या	लक्ष्य	छात्रकोष से	विकास कोष से	भामाशाह	जनसहयोग से	अन्य	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
1-5									
6-8									
9-10									
11-12									

4.3 आईसीटी योजना में भुगतान की स्थिति :-

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	योग	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
ICT वाले विद्यालय						
अनुबंध के आधार पर सेवाप्रदाता ऐजेंसी को किये जाने वाला भुगतान						
सेवाप्रदाता ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों की कुल राशि						
सेवाप्रदाता ऐजेंसी को अब तक किया गया भुगतान						
कटौती राशि						
शेष भुगतान जो किया जाना है						

4.4 विद्यालयों में बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुविधा एवं विद्युत कनेक्शन की प्रगति

क्र. सं.	विवरण	प्रथम चरण के आदर्श विद्यालयों की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
1	2015-16 से पूर्व इन्टरनेट कनेक्शन के की उपलब्धता वाले विद्यालय			
2	2015-16 के दौरान इन्टरनेट उपलब्ध कराये गये विद्यालय			

3	ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड उपलब्ध लेकिन विद्यालयों में ब्रॉडबैंड उपलब्ध नहीं ऐसे विद्यालय			
4	2015-16 से पूर्व से विद्युत कनेक्शन उपलब्धता वाले विद्यालय			
5	2015-16 के दौरान उपलब्ध कराये गये विद्युत कनेक्शन वाले विद्यालय			
6	विद्युत कनेक्शन उपलब्धता वाले विद्यालय			

4.5 आदर्श विद्यालयों को विकसित करने के लिए समीक्षा बैठकों में उपस्थिति

विवरण	बैठको की कुल संख्या	एडीपीसी द्वारा भागीदारी (संख्या)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
जिला स्तर पर आयोजित निष्पादक समिति की बैठक				
जिला स्तरीय कौर कमेटी की बैठक				
जिले के समस्त ब्लॉकों में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठके				

4-6 डिजीटल लिटरेसी

जिले में कुल माध्यमिक शिक्षा विभाग में कुल संख्या	RS-CIT से प्रशिक्षित	PGDCA, MCA, BCA etc	शेष	RKCL में रजिस्टर्ड संख्या (सत्र 2015-16)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
कार्यालय कार्मिक						
स्वयं						

4.7 शाला दर्पण योजना में डेटा फीडिंग की प्रगति

जिले में कुल विद्यालयों की संख्या (आदर्श विद्यालय सहित)				
कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र 3-A लॉक करने की प्रगति (प्रतिशत में)	कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र 5 में लॉक करने की प्रगति (प्रतिशत में)	कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र 3-B में विषय फीडिंग करने की प्रगति (प्रतिशत में)	कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र -9 में फीडिंग करने की प्रगति (प्रतिशत में)	कुल विद्यालयों के आधार प्रपत्र - Teacher details profile में फीडिंग करने की प्रगति (प्रतिशत में) उपलब्धि प्रतिशत अंक

4.8 SIQE (प्राथमिक कक्षाओं के कक्षा-कक्ष सौन्दर्यकरण (लहर कक्ष की तरह)

एसआईक्यूई संचालित कुल विद्यालय	2015-16 में लहर आधारित कक्षा कक्ष विकसित कुल विद्यालयों की संख्या		
	2 से अधिक लहर आधारित कक्षा कक्षों वाले विद्यालय	2 लहर आधारित कक्षा कक्षों वाले विद्यालय	2 से कम लहर आधारित कक्षा कक्षों वाले विद्यालय

4.9 ग्रीन बोर्ड स्थिति

विद्यालय (माध्यमिक शिक्षा विभाग)	विद्यालयों के कक्षा-कक्षों में ग्रीन बोर्ड की संख्या		उपलब्धि प्रतिशत	अंक
	2015-16 से पूर्व	2015-16 के दौरान		
माध्यमिक				
उच्च माध्यमिक				
योग				

4.10 प्रशिक्षण

	SIQE प्रशिक्षण उपलब्धि (प्रतिशत)		शिक्षक प्रशिक्षण उपलब्धि (प्रतिशत)		लीडरशिप उपलब्धि (प्रतिशत)	
	राज्य स्तरीय संस्था प्रधान प्रशिक्षण (बोध परिसर)	ब्लॉक स्तरीय संस्था प्रधान प्रशिक्षण	नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षण	विषयाधारित (विज्ञान, गणित) शिक्षक प्रशिक्षण	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण	संभाग स्तरीय प्रशिक्षण
लक्ष्य						
उपलब्धि						
अंक						

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में भरी गई समस्त जानकारियाँ सही हैं। गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन को निरस्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर
नाम व सील

आवेदन पत्र अनुशेषित

हस्ताक्षर जिला कलेक्टर
मय नाम एवं सील

2.1.3 प्रतिभा खोज परीक्षा

परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या	अंक
राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा-प्रथम चरण		
राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा		
नेशनल मेरिट कम-मीन्स स्कॉलरशिप		

3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास

3.1 आधारभूत सुविधाएँ

	पूर्व से है तो उसकी साइज /संख्या /उपलब्धता	सुविधा उपलब्ध कराई गई है उसकी साइज /संख्या / उपलब्धता	कहाँ से	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
खेल मैदान					
खेल सामग्री					
पेयजल					
शौचालय					
विद्यालय में कक्षा कक्ष					
चारदीवारी					
अन्य आधारभूत सुविधा					

3.2 विद्यालयों में सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं आदि से लिये गये सहयोग का विवरण

सहयोगकर्ता का नाम	सहयोग का विवरण	सहयोग राशि	कार्य का विवरण जिसमें राशि का उपयोग किया गया है	अंक

3.3 विद्यालय में स्थापित कम्प्यूटर लैब की स्थिति:-

कम्प्यूटरों की कुल संख्या	कार्यशील कम्प्यूटरों की संख्या	अंक

3.4 विद्यालय परिसर सौन्दर्यीकरण एवं विद्यालय को गोद देने की प्रगति:-

विवरण	विद्यालय को गोद लेने वाली संस्था का नाम	विद्यालय में आदर्श वाक्य लेखन करवाया गया/नहीं	आदर्श योजनानुसार नामलेखन करवाया गया/नहीं

अंक			

3.5 खेलकूद, सांस्कृतिक एवं विज्ञान प्रदर्शनी गतिविधियों में सहभागिता

गतिविधि	जिले में		अंक
	सहभागिता	स्थान	
खेलकूद			
सांस्कृतिक (कला उत्सव)			
विज्ञान प्रदर्शनी			

3.6 विद्यार्थी एवं विद्यालय विकास कोष

क्र. सं.	विवरण	विद्यार्थी कोष			विकास कोष			उपलब्धि प्रतिशत	अंक
		1 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2016 को शेष राशि	30 अप्रैल 2015 को	31 मार्च 2016 को	1 अप्रैल 2016 को शेष राशि		
1	उपलब्ध राशि								
2	फर्नीचर क्रय करने में उपयोग								
3	आई.सी. टी. में उपयोग								
4	अन्य उपयोग								
	कुल उपयोग								
5	शेष राशि								

3.7 प्राथमिक कक्षाओं हेतु फर्नीचर व्यवस्था एवं लहर पैटर्न पर कक्षा कक्ष तैयार करवाने की प्रगति

विवरण	लहर पैटर्न पर तैयार कक्षा कक्षों की संख्या	फर्नीचर की स्थिति			
		नामांकन	फर्नीचर की उपलब्धता	कमी	कमी को दूर करने हेतु किये गये प्रयास
उपलब्धि					

अंक					
-----	--	--	--	--	--

3.8 आईसीटी योजना में भुगतान की स्थिति

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण	तृतीय चरण	योग	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
अनुबंध के आधार पर सेवाप्रदाता ऐजेंसी को किये जाने वाला भुगतान						
सेवाप्रदाता ऐजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों की कुल राशि						
सेवाप्रदाता ऐजेंसी को अब तक किया गया भुगतान						
कटौती राशि						
शेष भुगतान जो किया जाना है						

3.9 विद्यालयों में बेसिक टेलीफोन/ब्रॉडबैंड कनेक्शन सुविधा एवं विद्युत कनेक्शन की प्रगति

क्र. सं.	विवरण	उपलब्धि वर्ष	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
1	बेसिक टेलीफोन			
2	ब्रॉडबैंड कनेक्शन			
3	विद्युत कनेक्शन			

3.10 आदर्श विद्यालय योजनान्तर्गत हुई समीक्षा बैठकों में उपस्थिति

विवरण	ब्लॉक में हुई कुल बैठकों की संख्या	भागीदारी (संख्या)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
ब्लॉक में एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठके				

3.11 डिजीटल लिटरेसी

कार्मिक	संख्या	RS-CIT से प्रशिक्षित	PGDCA, MCA, BCA etc	शेष	RKCL में रजिस्टर्ड संख्या (सत्र 2015-16)	उपलब्धि प्रतिशत	अंक
शिक्षक							
मंत्रालयिक कार्मिक							
स्वयं							

3.12 शाला दर्पण योजना में डेटा फीडिंग की प्रगति

जिले में कुल विद्यालयों की संख्या (आदर्श विद्यालय सहित)				
3-A लॉक करने की प्रगति % में	प्रपत्र 5 में लॉक करने की प्रगति % में	3-B में विषय फीडिंग करने की प्रगति % में	प्रपत्र-9 में फीडिंग करने की प्रगति % में	प्रपत्र-Teacher details profile में फीडिंग करने की प्रगति % में उपलब्धि % अंक में

3.13 ग्रीन बोर्ड स्थिति

कक्षा	कक्षा-कक्षों में ग्रीन बोर्ड की संख्या		उपलब्धि प्रतिशत	अंक
	2015-16 से पूर्व	2015-16 के दौरान		
1-5				
6-8				
9-10				
11-12				

3.14 SIQE कार्यक्रम की प्रगति प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रगति

प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या	उपलब्धि % में	अंक

3.15 SIQE की अवधारणा के अनुसार कक्षा-कक्ष में शिक्षण कार्य की स्थिति –

गतिविधि	हाँ/नहीं	अंक
शिक्षकों का प्रशिक्षण हो गया है।		
विद्यार्थियों की विषयवार उपलब्धि के आधार पर गुप बना दिये गये हैं		
विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति की मॉनिटरिंग हेतु चैकलिस्ट बना दी गई है		
सीसीई से संबंधित सामग्री विद्यालय में पहुंच गई है		
सीसीई के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित प्रपत्र भरे जा रहे हैं		
विद्यालय द्वारा शैक्षिक सुधार की कार्य योजना बना ली गई है		
शैक्षिक/सहशैक्षिक गतिविधियों की योजना बना ली गई है।		
पुस्तकालय एवं वाचनालय का उपयोग		

3.16 SDMC की बैठकों तथा PTA की बैठकों के आयोजन की प्रगति

एसडीएमसी/पीटीए बैठकों की निर्धारित संख्या	एसडीएमसी/पीटीए आयोजित की गयी बैठकों की संख्या	बैठकों में लिये गये निर्णयों की पालना % में	अंक

समीक्षा बैठक

उपखण्ड अधिकारी द्वारा समीक्षा हेतु ब्लॉक में ली गयी बैठकों की संख्या	बैठकों में भागीदारी संख्या	उपलब्धि % में	अंक

3.17 विद्यालयों में किये गये नवाचार

संख्या	नवाचार का विवरण	अंक

3.18 निरीक्षण रिपोर्ट

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा निरीक्षण (10)	अंक
i. उत्कृष्ट पाये जाने पर (10)	
ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर (6)	
iii. अच्छा पाये जाने पर (3)	

--	--

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य अभिलेख एवं मेरी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सही है। गलत पाये जाने पर मैं स्वयं व्यक्तिशः जिम्मेदार रहूंगा।

आवेदन पत्र अनुशषित
हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी
मय नाम एवं सील

हस्ताक्षर संस्थाप्रधान
मय सील

मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र-अ)
(संस्थाप्रधानों के लिये)

क्र.सं	उपलब्धि विवरण	अधिकतम अंक विवरण 250	अंक
1	2.1 अकादमिक	<p>2.1.1 नामांकन सत्र 2015-16 में (8 अंक)</p> <p>कक्षा 1 से 5 (2)</p> <p>i. 100 तक 0</p> <p>ii. 125 तक 1</p> <p>iii. 125 से अधिक 2</p> <p>कक्षा 6 से 8(2)</p> <p>i. 60 तक 0</p> <p>ii. 90 तक 1</p> <p>iii. 90 से अधिक 2</p> <p>कक्षा 9 से 10(2)</p> <p>i. 40 तक 0</p> <p>ii. 60 तक 1</p> <p>iii. 90 से अधिक 2</p> <p>कक्षा 11 से 12(2)</p> <p>i. एक संकाय में नामांकन 40 तक 0</p> <p>ii. एक संकाय में नामांकन 80 तक 1</p> <p>iii. एक संकाय में नामांकन 80 से अधिक 2</p> <p>iv. दो संकाय में नामांकन 80 तक 0</p> <p>v. दो संकाय में नामांकन 160 तक 1</p> <p>vi. दो संकाय में नामांकन 160 से अधिक 2</p> <p>vii. तीन संकाय में नामांकन 120 तक 0</p> <p>viii. तीन संकाय में नामांकन 240 तक 1</p> <p>ix. तीन संकाय में नामांकन 240 से अधिक 2</p>	
		<p>2.1.2 विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि (54)</p> <p>कक्षा 10 के लिये परीक्षा परिणाम (27)</p> <p>i. 50 प्रतिशत से कम 0</p> <p>ii. 50 से अधिक व 60 प्रतिशत तक 2</p> <p>iii. 60 से अधिक व 80 प्रतिशत तक 5</p> <p>iv. 80 प्रतिशत से अधिक 7</p> <p>v. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 प्रतिशत से कम 0</p> <p>vi. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 से 50 प्रतिशत तक 5</p> <p>vii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत तक 7</p> <p>viii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक 80 प्रतिशत तक 8</p> <p>ix. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक 10</p> <p>x. मेरिट में आने वाले 1 है तो 5</p> <p>xi. मेरिट में आने वाले प्रत्येक विद्यार्थी पर 5 अंक अधिकतम 15</p>	

		<p>कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम (27)</p> <p>i. 50 प्रतिशत से कम 0</p> <p>ii. 50 से अधिक व 60 प्रतिशत से कम 5</p> <p>iii. 60 से अधिक व 80 प्रतिशत से कम 6</p> <p>iv. 80 प्रतिशत से अधिक 7</p> <p>v. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 प्रतिशत से कम 5</p> <p>vi. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 30 से 50 प्रतिशत तक 6</p> <p>vii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत तक 7</p> <p>viii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक 80 प्रतिशत तक 8</p> <p>ix. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक 10</p> <p>x. मेरिट में आने वाले 1 है तो 5</p> <p>xi. मेरिट में आने वाले 1 से अधिक है तो 10</p> <p>2.1.3 प्रतिभा परीक्षाएँ (15)</p> <p>एनटीएसई (5)</p> <p>i. एनटीएसई प्रथम चरण में एक विद्यार्थी के चयन पर 3</p> <p>ii. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5</p> <p>एसटीएसई (5)</p> <p>i. एसटीएसई में एक विद्यार्थी के चयन पर 3</p> <p>ii. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5</p> <p>एनएमएमएस (5)</p> <p>iii. एनएमएमएस में एक विद्यार्थी के चयन पर 3</p> <p>iv. एक से अधिक विद्यार्थी के चयन पर 5</p>	
2	3. राज.माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास	<p>3.1 आधारभूत सुविधाएँ (35)</p> <p>खेल मैदान व सामग्री (14)</p> <p>i. भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भेजने पर 2</p> <p>ii. भूमि आवंटन कराने पर 5</p> <p>iii. खेल सुविधाओं की स्थिति 5</p> <p>iv. खेल सामग्री उपलब्ध 2</p> <p>पेयजल (3)</p> <p>i. सामान्य व्यवस्था 0</p> <p>ii. अच्छी व्यवस्था 2</p> <p>iii. बहुत अच्छी व्यवस्था 3</p> <p>शौचालय (10)</p> <p>i. 50 से कम बालकों के लिए एक शौचालय 5</p> <p>ii. 50 से कम बालिकाओं के लिए एक शौचालय 5</p> <p>iii. 50 से अधिक बालकों के लिए एक शौचालय 3</p> <p>iv. 50 से अधिक बालिकाओं के लिए एक शौचालय 3</p> <p>कक्षा कक्ष/चारदीवारी (4)</p> <p>i. पर्याप्त कक्षा कक्ष 2</p> <p>ii. चारदीवारी 2</p>	

	<p>अन्य आधारभूत सुविधा (4)</p> <p>i. सामान्य व्यवस्था</p> <p>ii. अच्छी व्यवस्था</p> <p>iii. बहुत अच्छी व्यवस्था</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>4</p>
	<p>3.2 सीएसआर, भामाशाह व दानदाताओं का सहयोग (7)</p> <p>i. विद्यालय में 1-5 लाख तक राशि का सहयोग</p> <p>ii. 5-10 लाख तक राशि का सहयोग</p> <p>iii. 10 लाख से अधिक राशि का सहयोग</p>	<p>2</p> <p>5</p> <p>7</p>
	<p>3.3 कम्प्यूटर लैब व अन्य व्यवस्थाएं (5)</p> <p>i. विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या (5 तक)</p> <p>ii. विद्यालय में क्रियाशील कम्प्यूटरों की संख्या (5 से अधिक)</p>	<p>3</p> <p>5</p>
	<p>3.4 विद्यालय सौन्दर्यीकरण (6)</p> <p>i. विद्यालय को गोद दिये जाने पर</p> <p>ii. विद्यालय में आदर्श वाक्य लेखन</p> <p>iii. आदर्श विद्यालय योजनानुसार नाम लेखन</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
	<p>3.5 खेलकूद एवं शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता (15)</p> <p>खेलकूद (5)</p> <p>i. किसी भी खेल में राज्य में प्रथम स्थान</p> <p>ii. किसी भी खेल में राज्य में द्वितीय स्थान</p> <p>iii. किसी भी खेल में राज्य में तृतीय स्थान</p> <p>सांस्कृतिक एवं कला उत्सव (5)</p> <p>i. सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में प्रथम स्थान</p> <p>ii. सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में द्वितीय स्थान</p> <p>iii. सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में तृतीय स्थान</p> <p>विज्ञान प्रदर्शनी (5)</p> <p>i. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में प्रथम स्थान</p> <p>ii. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में द्वितीय स्थान</p> <p>iii. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में तृतीय स्थान</p>	<p>5</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>3</p> <p>2</p>
	<p>3.6 विद्यार्थी एवं विद्यालय विकास कोष का उपयोग(8)</p> <p>i. 60 प्रतिशत से कम</p> <p>ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक</p> <p>iii. 80 प्रतिशत से अधिक</p>	<p>0</p> <p>5</p> <p>8</p>
	<p>3.7 लहर कक्ष एवं फर्नीचर की व्यवस्था (10)</p> <p>फर्नीचर (5)</p> <p>i. विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत से कम</p> <p>ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक</p> <p>iii. 80 प्रतिशत से अधिक</p> <p>लहर कक्ष (5)</p> <p>i. 2 से कम लहर आधारित कक्षा-कक्ष</p> <p>ii. 2 लहर आधारित कक्षा-कक्ष</p> <p>iii. 2 से अधिक लहर आधारित कक्षा-कक्ष</p>	<p>0</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>5</p>

	3.8 आईसीटी योजना (4)	
	i. आईसीटी सेवा प्रदाता द्वारा एजेन्सी को किये जाने वाले वास्तवित भुगतान का 60 प्रतिशत से कम	0
	ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	2
	iii. 80 प्रतिशत से अधिक	4
	3.9 व्यवस्थाएँ (6)	
	i. बेसिक टेलीफोन उपलब्ध कराये जाने पर	2
	ii. ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने पर	2
	iii. विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने पर	2
	3.10 एसडीएम द्वारा ली गयी समीक्षा बैठक में उपस्थिति (2)	
	i. 60 प्रतिशत से कम	0
	ii. 60 प्रतिशत से अधिक	2
	3.11 डिजिटल लिटरेसी (5)	
	i. RKCIT/PGDCA/MCA/BCA स्वयं प्रशिक्षित	2
	ii. विद्यालय के शिक्षक/कार्मिकों द्वारा RKCIT/PGDCA/MCA /BCA प्रशिक्षण 80 प्रतिशत	1
	iii. 80 प्रतिशत से अधिक	3
	3.12 शाला दर्पण – डेटा फिडिंग (8)	
	प्रपत्र 3ए लॉक करने की प्रगति (2)	
	i. लॉक नहीं करने पर	0
	ii. लॉक करने पर	2
	प्रपत्र 3बी लॉक करने की प्रगति (2)	
	i. लॉक नहीं करने पर	0
	ii. लॉक करने पर	2
	प्रपत्र 5 लॉक करने की प्रगति(2)	
	i. लॉक नहीं करने पर	0
	ii. लॉक करने पर	2
	प्रपत्र 9 लॉक करने की प्रगति (2)	
	i. लॉक नहीं करने पर	0
	ii. लॉक करने पर	2
	3.13 ग्रीन-बोर्ड (8)	
	i. कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत से कम	0
	ii. कक्षा 1 से 5 में 80 प्रतिशत से अधिक	1
	iii. कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत से कम	0
	iv. कक्षा 6 से 8 में 80 प्रतिशत से अधिक	2
	v. कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत से कम	0
	vi. कक्षा 9 से 10 में 80 प्रतिशत से अधिक	2
	vii. कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत से कम	0
	viii. कक्षा 11 से 12 में 80 प्रतिशत से अधिक	2

	<p>3.14 SIQE शिक्षक प्रशिक्षण (2)</p> <p>i. समस्त प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 2</p> <p>ii. प्रशिक्षण शेष रहने पर 0</p>	
	<p>3.15 SIQE (12)</p> <p>i. प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों के अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 2</p> <p>ii. विद्यार्थियों के विषयवार ग्रुप बनाने पर 2</p> <p>iii. विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के लिये चैक लिस्ट बनाने पर 2</p> <p>iv. सीसीई के आवश्यक प्रपत्र भरे जाने पर 2</p> <p>v. शैक्षिक कार्ययोजना बनाने पर 2</p> <p>vi. पुस्तकालय व वाचनालय का उपयोग किया जाने पर 2</p>	
	<p>3.16 एसडीएमसी / पीटीए बैठकों का आयोजन(6)</p> <p>एसडीएमसी बैठक (3)</p> <p>i. बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत 3</p> <p>ii. बैठकों का आयोजन 100 प्रतिशत से कम 0</p> <p>एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भागीदारी (3)</p> <p>i. 80 प्रतिशत से कम 0</p> <p>ii. 80 प्रतिशत से अधिक 3</p>	
	<p>3.17 नवाचार (4)</p> <p>i. एक नवाचार करने पर 2</p> <p>ii. एक से अधिक 4</p>	
	<p>3.18 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर(5)</p> <p>i. उत्कृष्ट पाये जाने पर 5</p> <p>ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर 3</p> <p>iii. अच्छा पाये जाने पर 1</p>	
	<p>3.19 निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर(10)</p> <p>i. उत्कृष्ट पाये जाने पर 10</p> <p>ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर 6</p> <p>iii. अच्छा पाये जाने पर 3</p>	
	<p>3.20 राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर(10)</p> <p>i. उत्कृष्ट पाये जाने पर 10</p> <p>ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर 6</p> <p>iii. अच्छा पाये जाने पर 3</p>	

मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र-ब)
(एडीपीसी के लिए)

आवेदन बिन्दु क्रमांक	उपलब्धि विवरण	लक्ष्य (अधिकतम अंक 120)	अंक
2	2.1 अकादमिक	2.1.1 नामांकन वृद्धि (7 अंक) i. लक्ष्य से कम ii. लक्ष्य प्राप्ति iii. लक्ष्य से 10 प्रतिशत तक वृद्धि iv. लक्ष्य से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि	0 3 5 7
3	3 प्रशासनिक प्रगति	3.1 संस्थापन प्रगति (6) बेव पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक शिकायत एवं जॉच प्रकरणों का निस्तारण (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक अन्य परिवेदना प्रकरणों का निस्तारण (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 1 2 0 1 2 0 1 2
		3.1.1 विद्यालय निरीक्षण (7) i. निर्धारित लक्ष्य से 50 प्रतिशत से कम निरीक्षण ii. 50 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 5 7
		3.1.2 विविध गतिविधियों (10) कला उत्सव (5) i. कला उत्सव में राज्य में प्रथम स्थान ii. कला उत्सव में राज्य में द्वितीय स्थान iii. कला उत्सव में राज्य में तृतीय स्थान विज्ञान प्रदर्शनी (5) i. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में प्रथम स्थान ii. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में द्वितीय स्थान iii. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में तृतीय स्थान	5 3 2 5 3 2

3	4. राज.माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास	4.1 खेल मैदान विकसित किये जाने की प्रगति (10) खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन(5) i. 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक खेल मैदान का विकास (5) i. 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 3 5 0 3 5
		4.2 फर्नीचर की उपलब्धता (6) i. जिले में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 3 6
		4.3 आईसीटी योजना (5) iv. आईसीटी सेवा प्रदाता द्वारा एजेन्सी को किये जाने वाले वास्तविक भुगतान का 60 प्रतिशत से कम v. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक vi. 80 प्रतिशत से अधिक	0 3 5
		4.4 ब्रॉड-बैंड व विद्युत कनेक्शन (6) ब्रॉड-बैंड कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने पर(3) i. 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने पर (3) i. 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 1 3 0 1 3
		4.5 समीक्षा बैठको में उपस्थित (9) निष्पादक समिति की बैठक में भागीदारी (3) i. 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक कोर कमेटी की बैठक में भागीदारी (3) i. 60 प्रतिशत से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक जिले समस्त ब्लॉक पर एसडीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में भागीदारी (3) iii. 60 प्रतिशत से कम iv. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक v. 80 प्रतिशत से अधिक	0 1 3 0 1 3 0 1 3

		4.6 डिजिटल लिटरेसी (9)	
		i. RKCIT/PGDCA/MCA/BCA स्वयं प्रशिक्षित	2
		ii. कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों का RKCIT/PGDCA/MCA/BCA प्रशिक्षण 20 प्रतिशत तक	2
		iii. 20 प्रतिशत से अधिक 60 से कम	3
		iv. 60 प्रतिशत से अधिक	5
		4.7 शाला दर्पण – डेटा फीडिंग (8)	
		प्रपत्र 3ए लॉक करने की प्रगति – (2)	
		i. 90 प्रतिशत से कम पर	0
		ii. 90 प्रतिशत से अधिक	2
		प्रपत्र 3बी में फीडिंग की प्रगति – (2)	
		90 प्रतिशत से कम पर	0
		90 प्रतिशत से अधिक	2
		प्रपत्र 5 लॉक करने की प्रगति – (2)	
		i. 90 प्रतिशत से कम पर	0
		ii. 90 प्रतिशत से अधिक	2
		प्रपत्र 9 में फीडिंग करने की प्रगति – (2)	
		i. 90 प्रतिशत से कम पर	0
		ii. 90 प्रतिशत से अधिक	2
		4.8 SIQE (3)	
		जिले में स्थित कुल विद्यालयों में लहर आधारित कक्षा-कक्ष	
		i. 60 प्रतिशत से कम लहर आधारित कक्षा-कक्ष	0
		ii. 60 से 80 प्रतिशत लहर आधारित कक्षा-कक्ष	2
		iii. 80 प्रतिशत से अधिक लहर आधारित कक्षा-कक्ष	3
		4.9 ग्रीन-बोर्ड (4)	
		i. 80 प्रतिशत से कम उमा विद्यालयों में ग्रीन-बोर्ड	0
		ii. 80 प्रतिशत से अधिक उमा विद्यालयों में ग्रीन-बोर्ड	2
		iii. 80 प्रतिशत से कम मा. विद्यालयों में ग्रीन-बोर्ड	0
		iv. 80 प्रतिशत से अधिक मा. विद्यालयों में ग्रीन-बोर्ड	2

		<p>4.10 SIQE व अन्य प्रशिक्षण (10) संस्था प्रधान प्रशिक्षण उपलब्धि (राज्य स्तरीय) (2) i. 90 प्रतिशत से कम 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>संस्था प्रधान (ब्लॉक स्तर) (2) i. 90 प्रतिशत से कम पर 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>नवनियुक्त शिक्षक(2) i. 90 प्रतिशत से कम पर 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>विषय आधारित प्रशिक्षण(2) i. 90 प्रतिशत से कम 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>लीडरशिप प्रशिक्षण(राज्य स्तरीय) (2) i. 90 प्रतिशत से कम पर 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>लीडरशिप प्रशिक्षण(संभाग स्तरीय) (2) i. 90 प्रतिशत से कम पर 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p>	
		<p>4.11 निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर(10) i. उत्कृष्ट पाये जाने पर 10 ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर 6 iii. अच्छा पाये जाने पर 3</p>	
		<p>4.12 राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर(10) i. उत्कृष्ट पाये जाने पर 10 ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर 6 iii. अच्छा पाये जाने पर 3</p>	

मूल्यांकन निर्देश (प्रपत्र – स)
(जिला शिक्षा अधिकारी के लिए)

आवेदन बिन्दु क्रमांक	उपलब्धि विवरण	लक्ष्य (अधिकतम अंक 200)	अंक
2	2.1 अकादमिक	2.1.1 नामांकन वृद्धि (7)	
		i. लक्ष्य से कम	0
		ii. लक्ष्य प्राप्ति	3
		iii. लक्ष्य से 10 प्रतिशत तक वृद्धि	5
		iv. लक्ष्य से 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि	7
		2.1.2 बोर्ड परीक्षा परिणाम (42)	
		कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम (17)	
		i. 50 प्रतिशत से कम	0
		ii. 50 से अधिक व 60 प्रतिशत तक	2
		iii. 60 से अधिक व 80 प्रतिशत तक	5
		iv. 80 प्रतिशत से अधिक	6
		i. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 प्रतिशत से कम	0
		ii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 से 50 प्रतिशत तक	5
		iii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत तक	6
		iv. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक 80 प्रतिशत तक	7
v. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक	8		
i. मेरिट में आने वाले विद्यार्थी संख्या 1 है तो	2		
ii. मेरिट में आने वाले विद्यार्थी 1 से अधिक होने पर	5		
कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम(21)			
i. 50 प्रतिशत से कम	0		
ii. 50 से अधिक व 60 प्रतिशत से कम	2		
iii. 60 से अधिक व 80 प्रतिशत से कम	5		
iv. 80 प्रतिशत से अधिक	6		
i. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 प्रतिशत से कम	0		
ii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 20 से 50 प्रतिशत तक	5		
iii. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 50 से 60 प्रतिशत तक	6		
iv. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 60 से अधिक 80 प्रतिशत तक	7		

		v. प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या 80 प्रतिशत से अधिक	8
		i. मेरिट में आने वाले 1 विद्यार्थी है तो	2
		ii. मेरिट में आने वाले 1 से अधिक है तो	5
3	3 प्रशासनिक प्रगति	3.1 संस्थापन प्रगति (12) एसीपी निस्तारण (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक पेंशन प्रकरण निस्तारण (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक बेव पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक शिकायत एवं जॉच प्रकरणों का निस्तारण (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक अन्य परिवेदना प्रकरणों का निस्तारण (2) i. 60 प्रतिशत प्रकरणों से कम ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
		3.1.1 विद्यालय निरीक्षण (4) i. निर्धारित लक्ष्य से 50 प्रतिशत से कम निरीक्षण ii. 50 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक iii. 80 प्रतिशत से अधिक	0 2 4
		3.1.2 छात्रवृत्तियां (5) i. 60 प्रतिशत से कम वितरण ii. 60 प्रतिशत से अधिक 90 प्रतिशत तक iii. 90 प्रतिशत से अधिक	0 3 5

	<p>3.1.3 खेलकूद एवं शैक्षिक गतिवधियों में सहभागिता (15) खेलकूद (5) i. किसी भी खेल में राज्य में प्रथम स्थान 5 ii. किसी भी खेल में राज्य में द्वितीय स्थान 3 iii. किसी भी खेल में राज्य में तृतीय स्थान 2</p> <p>सांस्कृतिक एवं कला उत्सव (5) i. सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में प्रथम स्थान 5 ii. सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में द्वितीय स्थान 3 iii. सांस्कृतिक एवं कला उत्सव में राज्य में तृतीय स्थान 2</p> <p>विज्ञान प्रदर्शनी (5) i. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में प्रथम स्थान 5 ii. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में द्वितीय स्थान 3 iii. विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य में तृतीय स्थान 2</p>	
	<p>3.1.4 प्रतियोगी परीक्षाएँ (13) नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप (3) i. 60 प्रतिशत से कम वितरण ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 3 iii. 80 प्रतिशत से अधिक वितरण 2 1</p> <p>राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (5) i. राजकीय विद्यालयों से जिले में कोई चयन नहीं 0 ii. राजकीय विद्यालयों से जिले में एक विद्यार्थी का चयन 3 iii. राजकीय विद्यालयों से जिले में दो या दो से अधिक चयन होने पर 5</p> <p>राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा (5) i. राजकीय विद्यालयों के जिले में कोई चयन नहीं 0 ii. राजकीय विद्यालयों के जिले में एक विद्यार्थी का चयन 3 iii. राजकीय विद्यालयों के जिले में दो या दो से अधिक चयन होने पर 5</p>	
	<p>3.1.5 लैपटॉप वितरण योजना (3) i. लक्ष्य के अनुसार 50 प्रतिशत तक 0 ii. लक्ष्य के अनुसार 100 प्रतिशत से कम वितरण 1 iii. लक्ष्य के अनुसार 100 प्रतिशत वितरण 3</p>	
	<p>3.1.6 साईकिल वितरण (2) i. जिले में आवंटित विद्यार्थियों को लक्ष्य के अनुसार समय पर वितरण 2</p>	

3	4. राज.माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं विद्यालय विकास	4.1 खेल मैदान विकसित करने व भूमि आवंटन हेतु भेजे गये प्रकरण (10)	
		भूमि आवंटन (5)	
		i. 60 प्रतिशत से कम	0
		ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3
		iii. 80 प्रतिशत से अधिक	5
		खेल मैदान का विकास (5)	
		i. 60 प्रतिशत से कम	0
		ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3
		iii. 80 प्रतिशत से अधिक	5
		4.2 विद्यार्थी एवं विद्यालय विकास कोष का उपयोग प्रतिशत (10)	
		विद्यार्थी कोष (5)	
		i. 60 प्रतिशत से कम	0
		ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3
		iii. 80 प्रतिशत से अधिक	5
		विद्यालय विकास कोष (5)	
		iv. 60 प्रतिशत से कम	0
v. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3		
80 प्रतिशत से अधिक	5		
4.3 फर्नीचर की उपलब्धता (5)			
i. जिले में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60 प्रतिशत से कम	0		
ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3		
iii. 80 प्रतिशत से अधिक	5		
4.4 आईसीटी योजना (10)			
आईसीटी का भुगतान(5)			
i. आईसीटी सेवा प्रदाता द्वारा एजेन्सी को किये जाने वाले वास्तवित भुगतान का 60 प्रतिशत से कम	0		
ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3		
iii. 80 प्रतिशत से अधिक	5		
आईसीटी की पत्रावली को कार्यक्रम अधिकारी को हस्तान्तरण (5)			
i. आईसीटी पत्रावलियों का 60 प्रतिशत से कम हस्तान्तरण	0		
ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक	3		
iii. 80 प्रतिशत से अधिक	5		

	<p>4.5 ब्रॉड-बैंड व विद्युत कनेक्शन (10) ब्रॉड-बैंड कनेक्शन (5) i. 60 प्रतिशत से कम 0 ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 3 iii. 80 प्रतिशत से अधिक 5 विद्युत कनेक्शन (5) i. 60 प्रतिशत से कम 0 ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 3 iii. 80 प्रतिशत से अधिक 5</p>	
	<p>4.6 जिला स्तर पर गठित समितियों में भागीदारी(9) निष्पादक समिति (3) i. 60 प्रतिशत से कम 0 ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 1 iii. 80 प्रतिशत से अधिक 3 कोर कमेटी की बैठक में भागीदारी (3) i. 60 प्रतिशत से कम 0 ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 1 iii. 80 प्रतिशत से अधिक 3 ब्लॉक पर एसडीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में भागीदारी (3) i. 60 प्रतिशत से कम 0 ii. 60 प्रतिशत से अधिक 80 प्रतिशत तक 1 iii. 80 प्रतिशत से अधिक 3</p>	
	<p>4.7 डिजिटल लिटरेसी (7) i. RKCIT/PGDCA/MCA/BCA स्वयं प्रशिक्षित 2 ii. जिले में स्थित कुल शिक्षकों का RKCIT/PGDCA/MCA /BCA प्रशिक्षण 20 प्रतिशत से अधिक 2 iii. 30 प्रतिशत से अधिक 60 प्रतिशत तक 3 iv. 60 प्रतिशत से अधिक 5</p>	
	<p>4.8 शाला दर्पण – डेटा फिडिंग (8) प्रपत्र 3ए लॉक करने की प्रगति – (2) i. 90 प्रतिशत से कम पर 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2 प्रपत्र 3बी में फीडिंग की प्रगति – (2) i. 90 प्रतिशत से कम पर 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2 प्रपत्र 5 लॉक करने की प्रगति – (2) i. 90 प्रतिशत से कम पर 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2 प्रपत्र 9 में फीडिंग करने की प्रगति – (2) i. 90 प्रतिशत से कम पर 0 ii. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p>	

	<p>4.9 SIQE (3)</p> <p>i. 2 से कम लहर आधारित कक्षा-कक्ष 0</p> <p>ii. 2 लहर आधारित कक्षा-कक्ष 2</p> <p>iii. 2 से अधिक लहर आधारित कक्षा-कक्ष 3</p>	
	<p>4.10 ग्रीन-बोर्ड (4)</p> <p>i. 80 प्रतिशत से कम उमा विद्यालयों में ग्रीन-बोर्ड 0</p> <p>ii. 80 प्रतिशत से अधिक उमा विद्यालयों में ग्रीन-बोर्ड 2</p> <p>iii. 80 प्रतिशत से कम मा. विद्यालयों में ग्रीन-बोर्ड 0</p> <p>iv. 80 प्रतिशत से अधिक मा. विद्यालयों में ग्रीन-बोर्ड 2</p>	
	<p>4.11 SIQE प्रशिक्षण (10)</p> <p>संस्था प्रधान प्रशिक्षण उपलब्धि (राज्य स्तरीय) (2)</p> <p>iii. 90 प्रतिशत से कम 0</p> <p>iv. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>संस्था प्रधान (ब्लॉक स्तर) (2)</p> <p>iii. 90 प्रतिशत से कम पर 0</p> <p>iv. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>नवनियुक्त शिक्षक (2)</p> <p>iii. 90 प्रतिशत से कम पर 0</p> <p>iv. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>विषय आधारित प्रशिक्षण (2)</p> <p>iii. 90 प्रतिशत से कम 0</p> <p>iv. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>लीडरशिप प्रशिक्षण(राज्य स्तरीय) (2)</p> <p>iii. 90 प्रतिशत से कम पर 0</p> <p>iv. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p> <p>लीडरशिप प्रशिक्षण(संभाग स्तरीय) (2)</p> <p>iii. 90 प्रतिशत से कम पर 0</p> <p>iv. 90 प्रतिशत से अधिक 2</p>	
	<p>4.12 निदेशालय स्तरीय गठित कमेटी द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (5)</p> <p>i. उत्कृष्ट पाये जाने पर 5</p> <p>ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर 3</p> <p>iii. अच्छा पाये जाने पर 1</p>	
	<p>4.13 राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा मूल्यांकन के आधार पर (10)</p> <p>i. उत्कृष्ट पाये जाने पर 10</p> <p>ii. बहुत अच्छा पाये जाने पर 6</p> <p>iii. अच्छा पाये जाने पर 3</p>	